संख्या –2381/15.07.16–31 /1999

प्रेषक –

श्री श्याम सुन्दर अग्निहोत्री
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश

सेवा में,

सचिव
केन्द्रिय माध्यमिक शिक्षा परिषद
शिक्षा केन्द्र – 2, समुदाय केन्द्र
प्रीत विहार, नई दिल्ली

शिक्षा (7) अनुभाग

लखनऊ दिनांक 31 अक्टूबर 2000

विषय – क्वींस पब्लिक स्कूल हल्द्वानी, नैनीताल को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का आदेश हुआ है कि क्वींस पब्लिक स्कूल, हल्द्वानी, नैनीताल को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाये वे इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रविष्टियों के अधीन आपत्ति नहीं हैं–

1. विद्यालय का पंजीकृत सोसायटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जाएगा।
2. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रखें और माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा सेवासित विद्यालयों में विभिन्न शिक्षाओं के लिए शुल्क नहीं लिया जाएगा।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं की जाएगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय को सम्बद्धता केन्द्रिय माध्यमिक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः ही समाप्त हो जाएगा।
5. संस्था शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतन लाभों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जाएँगे।
6. कर्मचारियों के सेवा शर्तें बनाई जाएँगी और उन्हें सहायता प्राप्त और अशासकीय उ0मा0 विद्यालयों के कर्मचारियों के अनुबन्ध सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराएँ जाएँगें।
7. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जाएँगें संस्था उनका पालन करेगी।

.................2/

Principal
Queen's Sr. Sec. School
Civil Lines, Haldwani

(2)

विद्यालय का रिकॉड निर्धारित प्रपत्र/पुस्तिकाओं में रखा जाएगा।

9. उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संसोधन का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

10. उक्त प्रविष्टियों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रविष्टियों का पालन नहीं किया जा रहा है या पालन करने में किसी भी प्रकार चूक या विभिन्नता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण वापस ले लिया जाएगा।

भवदीय

(श्याम सुन्दर अग्निहोत्री)
संयुक्त सचिव

पत्रांक संख्या 2381 III /15–7–2000 तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. मंडलाधीश संयुक्त शिक्षा निदेशक, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
3. जिला विद्यालय निरीक्षक, नैनीताल।
4. निरीक्षक आंग्ल भारतीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. प्रबन्धक, क्वींस पब्लिक स्कूल, हल्द्वानी, नैनीताल।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(श्याम सुन्दर अग्निहोत्री)
संयुक्त सचिव

Principal
Queen's Sr. Sec. School
Civil Lines, Haldwani